[2019] 1 S.C.R. 741

यूनियन आफ इंडिया

बनाम

राधा यादव

(2019 की सिविल अपील संख्या 1265-1266) 29 जनवरी, 2019

[उदय उमेश ललित और इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्तिगण]

रेल दुर्घटनाएं और अप्रिय घटनाएं (क्षतिपूर्ति) नियम, 1990 - नियमों की अनुसूची - मृत्यु के संबंध में देय मुआवजा - इस मामले में, मृतक-पीड़ित की आकस्मिक मृत्यु तब हुई जब वह एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था - पीड़ित ने डिब्बे के दरवाजे से अपना सिर बाहर झांका और उसका सिर रेलवे ट्रैक के किनारे एक चौकी से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई जिसमें उसने अपनी जान गंवा दी । संशोधन, मुआवजे की राशि जो पहले मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपये के स्तर पर थी, उसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया था - ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक अपने स्वयं के कृत्य का शिकार था और इस तरह कोई मुआवजा देय नहीं था - अपील पर, उच्च न्यायालय ने ब्याज के साथ 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया - विशेष अनुमति याचिका सितंबर 2018 के महीने में दायर की गई थी यानी रीना देवी में फैसले के बाद जिसमें यह माना गया था कि जहां कहीं यह पाया जाता है कि ट्रिब्यूनल के निर्णय की तारीख को लागू मुआवजे की संशोधित राशि ब्याज के साथ दुर्घटना की तारीख को मुआवजे की निर्धारित राशि से कम है, तो लाभकारी कानून के सिद्धांत पर दो में से अधिक राशि दी जानी चाहिए - आयोजित: उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि संशोधन लाए जाने से पहले देयता उत्पन्न हुई थी, तो मूल आंकड़ा अनुसूची के अनुसार होगा जैसा कि संशोधन से पहले अस्तित्व में था और ऐसे मूल आंकड़े पर, ब्याज की उचित दर की गणना की जाएगी - यदि इस प्रकार गणना की गई राशि और निर्णय की तारीख को अनुसूची में निर्धारित राशि के बीच कोई अंतर है, दो आंकड़ों में से अधिक मुआवजे का माप होगा - इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय ने इस मामले में 8 लाख रुपये की राशि पर ब्याज देने में गलती की - मामले को केवल भारतीय रेलवे में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए आठ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। 741 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 1 एस.सी.आर.

अपीलों का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:

1. रीना देवी मामले में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया था कि ब्याज की उचित दर के साथ दुर्घटना की तारीख पर देय मुआवजे की राशि की गणना पहले की जाएगी। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि अधिनिर्णय की तारीख को निर्धारित राशि से कम है , तो दावेदार इन दो राशियों में से अधिक राशि का हकदार होगा। इसलिए, यदि संशोधन लाए जाने से पहले देयता उत्पन्न हुई थी, तो मूल आंकड़ा अनुसूची के अनुसार होगा जैसा कि संशोधन से पहले अस्तित्व में था और ऐसे मूल आंकड़े पर ब्याज की उचित दर की गणना की जाएगी। यदि अधिनिर्णय

की तारीख को इस प्रकार परिकलित राशि और अनुसूची में निर्धारित राशि के बीच कोई अंतर है, तो मुआवजे का पैमाना दो आंकड़ों में से अधिक होगा। विचार यह है कि संशोधन का लाभ यथासंभव वहन किया जाए। जहां संशोधन से पहले दुर्घटना हुई थी, उसे रीना देवी में निर्धारित सिद्धांत के आलोक में मामले पर विचार करना चाहिए था। [पैरा 10, 11] [745-एफ-एच; 746-सी]

2. रेलवे को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को तुरंत दूर किया जाए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर मामले को केवल सुरक्षा के मुद्दों पर विचार करने के लिए आठ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। [पैरा 13] [746-जी-एच]

भारत संघ बनाम रीना देवी [2018] 4 एससीआर 417 - पर भरोसा किया।
केस लॉ रेफरेंस

[2018] 4 एससीआर 417 पैरा 6 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है: 2019 की सिविल अपील संख्या 1265-1266

2012 के एफएमए संख्या 858 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 03.03.2017 के निर्णय और आदेश और 2017 के आर.वी.डब्ल्यू. संख्या 127 में दिनांक 30.11.2017 के आदेश से।

2019 की सिविल अपील संख्या 1267-1268 के साथ। बृजेंदर चाहर, सीनियर एडवोकेट (एमिकस क्यूरी) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, विकास सिंह जांगड़ा, शशि भूषण,। अमित कुमार पाठक, नचिकेता जोशी, सुश्री भारती त्यागी, सचिन शर्मा, एके शर्मा, श्रीमती अनिल कटियार, राज बहादुर यादव, एडवोकेट उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय

उदय उमेश ललित, जे.1 द्वारा सुनाया गया था

1. छुट्टी मंजूर कर ली गई।

2. बर्दवान रेलवे स्टेशन से हावड़ा रेलवे स्टेशन की यात्रा के दौरान 02.10.2003 को एक लोकल ट्रेन में दशरथ यादव नामक व्यक्ति ने डिब्बे के दरवाजे से अपना सिर बाहर झांका था और उसका सिर रेलवे ट्रैक के किनारे एक चौकी से टकरा गया था जिसके परिणामस्वरूप एक दुर्घटना हुई थी जिसमें उसकी जान चली गई थी। रेल दावा अधिकरण, कोलकाता ने दिनांक 27-09-2007 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा यह पाया कि मृतक एक वास्तविक रेल यात्री था और यह घटना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (इसके बाद इसे अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुसार एक "अप्रिय घटना" थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक अपने स्वयं के कृत्य का शिकार था और इस तरह कोई मुआवजा देय नहीं था।

3. दावा याचिका की अस्वीकृति को प्रतिवादी यानी मृतक की विधवा द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2012 के एफएमए नंबर 858 दायर करके चुनौती दी गई थी।

4. रेल दुर्घटनाएं और अप्रिय घटनाएं (क्षतिपूत) नियम, 1990 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) में मृत्यु और चोटों के संबंध में देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने वाली अनुसूची का प्रावधान है। संशोधन के माध्यम से मामले के लंबित रहने के दौरान मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि जो पहले 4,00,000/- रुपये के स्तर पर थी , को बढ़ाकर 8,00,000/- रुपये कर दिया गया था।

5. उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 124-ए के संदर्भ में 'सख्त दायित्व का सिद्धांत' उत्पन्न होगा और इस तरह ट्रिब्यूनल प्रतिवादी को मुआवजे से इनकार करने में सही नहीं था। अपील को स्वीकार करते हुए , उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ 8,00,000 रुपये के मुआवजे का हकदार माना। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय 03.03.2017 को सुनाया गया था। समीक्षा याचिका के माध्यम से उठाई गई चुनौती को भी 30.11.2017 को खारिज कर दिया गया था।

6. 09.05.2018 को भारत संघ बनाम रीना देवी के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया: '2018

एससीसी ऑनलाइन एससी 507 = 2018 एआईआर 2362 = 2018 एससीआर 417 = 2018 (7) स्केल 274 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 1 एससीआर

(i) क्या मुआवजे की मात्रा आवेदन/घटना की तारीख को मुआवजे की निर्धारित दर के अनुसार या मुआवजा देने के आदेश की तारीख के अनुसार होनी चाहिए;

(ii) क्या सख्त दायित्व का सिद्धांत लागू होता है;

iii) क्या रेलवे ट्रैक के पास एक शव की उपस्थिति दावे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है;

(iv) ब्याज दर। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है- ..... हमारा विचार है कि वर्तमान संदर्भ में कानून यह माना जाना चाहिए कि देयता दुर्घटना की तारीख को अर्जित होगी और उस तारीख को लागू राशि वसूली योग्य राशि होगी लेकिन दावेदार को दुर्घटना की तारीख से भुगतान तक ऐसी दर पर ब्याज मिलेगा जो समय-समय पर उचित और उचित मानी जा सकती है। इस संदर्भ में, मोटर दुर्घटना दावा मामलों में लागू ब्याज दर को उचित और निष्पक्ष माना जा सकता है। एक बार ब्याज की अवधारणा पेश हो जाने के बाद, कर्मकार मुआवजा अधिनियम के सिद्धांत निश्चित रूप से लागू किए जा सकते हैं और प्रताप नारायण सिंह देव में 4-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय पूरी तरह से लागू होगा। जहां कहीं यह ब्याज दर। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है , इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है- ..... हमारा विचार है कि वर्तमान संदर्भ में कानून यह माना जाना चाहिए कि देयता दुर्घटना की तारीख को अर्जित होगी और उस तारीख को लागू राशि वसूली योग्य राशि होगी लेकिन दावेदार को दुर्घटना की तारीख से भुगतान तक ऐसी दर पर ब्याज मिलेगा जो समय-समय पर

उचित और उचित मानी जा सकती है। इस संदर्भ में, मोटर दुर्घटना दावा मामलों में लागू ब्याज दर को उचित और निष्पक्ष माना जा सकता है। एक बार ब्याज की अवधारणा पेश हो जाने के बाद, कर्मकार मुआवजा अधिनियम के सिद्धांत निश्चित रूप से लागू किए जा सकते हैं और प्रताप नारायण सिंह देव में 4-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय पूरी तरह से लागू होगा। जहां कहीं यह पाया जाता है कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय दिए जाने की तिथि को लागू क्षतिपूत की संशोधित राशि ब्याज सहित दुर्घटना की तारीख को मुआवजे की निर्धारित राशि से कम है , तो लाभकारी विधान के सिद्धांत पर दोनों राशियों में से अधिक राशि प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान कानून निश्चित रूप से लाभकारी कानून का एक टुकड़ा है। 19. तदनुसार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मुआवजा दुर्घटना की तारीख पर लागू होने वाले मुआवजे को ब्याज के साथ देय किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर उसी पैटर्न पर उचित माना जा सकता है जैसा कि दुर्घटना दावा मामलों में होता है। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि ट्रिब्यूनल के निर्णय की तारीख को निर्धारित राशि से कम है, तो दावेदार दो राशियों में से अधिक राशि का हकदार होगा। यह आदेश उन पुरस्कारों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले ही अंतिम हो चुके हैं और जहां ऐसे पुरस्कारों को चुनौती देने की सीमा समाप्त हो गई है, यह आदेश अपने आप में देरी के लिए माफी का आधार नहीं होगा। राठी मेनन में टकराव की लहर और कालंदी चरण साहू।

2 (1976) 1 एससीसी 289 3 (2001) 3 एससीसी 714

42018 (7) एससीजे 159 = (2017) एससीसी ऑनलाइन एससी 1638 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव [उदय उमेश ललित,न्यायामूर्ति] तदनुसार समझाया गया है। प्रताप नारायण सिंह देव मामले में 4 जजों की बेंच का फैसला इस विषय पर आधारित है और वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से लागू होता है। दुर्घटना की तारीख पर लागू मुआवजा उचित ब्याज के साथ दिया जाना चाहिए और लाभकारी कानून के जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए , यदि ट्रिब्यूनल के फैसले की तारीख पर प्रदान किया गया मुआवजा ब्याज के साथ असंशोधित राशि से अधिक है , तो दो राशियों में से अधिक राशि दी जानी चाहिए।

7. यह विशेष अनुमति याचिका सितंबर, 2018 के महीने में यानी रीना देवी मामले में इस न्यायालय के पूर्वोक्त फैसले के बाद दायर की गई थी।

8. जब मामले को उठाया गया , तो अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि 8,00,000/- रुपये की राशि पर ब्याज देना रीना देवी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि उक्त निर्णय के बावजूद , कई मामलों में 8,00,000/- रुपये की संशोधित राशि पर ब्याज दिया जा रहा था। अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करना उचित नहीं समझा , लेकिन श्री बृजेंद्र चाहर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया। यह स्पष्ट किया गया था कि प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित लाभ का हकदार होगा, भले ही इस मामले में उठाए गए कानून के प्रश्न के संबंध में निर्णय लिया जाए।

9. हमने अपीलकर्ता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी और न्यायमित्र श्री बृजेंद्र चाहर को सुना।

10. इस मामले में उठाए गए मुद्दे को वास्तव में किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे विचार में, रीना देवी के मामले में इस न्यायालय का निर्णय बहुत स्पष्ट है। इस न्यायालय ने जो निर्धारित किया है वह यह है कि उचित ब्याज दर के साथ दुर्घटना की तारीख पर देय मुआवजे की राशि की गणना पहले की जाएगी। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि अधिनिर्णय की तारीख को निर्धारित राशि से कम है, तो दावेदार इन दो राशियों में से अधिक राशि का हकदार होगा। इसलिए, यदि संशोधन लाए जाने से पहले देयता उत्पन्न हुई थी, तो मूल आंकड़ा अनुसूची के अनुसार होगा जैसा कि संशोधन से पहले अस्तित्व में था और ऐसे मूल आंकड़े पर ब्याज की उचित दर की गणना की जाएगी। यदि अधिनिर्णय की तारीख को इस प्रकार परिकलित राशि और अनुसूची में निर्धारित राशि के बीच कोई अंतर है, तो मुआवजे का पैमाना दो आंकड़ों में से अधिक होगा। उदाहरण के लिए, संशोधन से पहले हुई दुर्घटना में मृत्यु के मामले में, बुनियादी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 1 एस.सी.आर.यह आंकड़ा 4,00,000/- रुपये होगा। यदि, उचित ब्याज दर लागू करने के बाद, अंतिम आंकड़ा 8,00,000/- रुपये से कम होता है, जिसे संशोधन के माध्यम से लाया गया था, तो दावेदार 8,00,000/- रुपये का हकदार होगा। तथापि, यदि ब्याज दर सहित मूल मुआवजे की राशि 8,00,000/- रुपये की राशि से अधिक हो जाती है तो मुआवजा 8,00,000/- रुपये से अधिक होगा। विचार यह है कि संशोधन का ब्याज दर। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है- ..... हमारा विचार है कि वर्तमान संदर्भ में कानून यह माना जाना चाहिए कि देयता दुर्घटना की तारीख को अर्जित होगी और उस तारीख को लागू राशि वसूली योग्य राशि होगी लेकिन दावेदार को दुर्घटना की तारीख से भुगतान तक ऐसी दर पर ब्याज मिलेगा जो समय-समय पर उचित और उचित मानी जा सकती है। इस संदर्भ में, मोटर दुर्घटना दावा मामलों में लागू ब्याज दर को उचित और निष्पक्ष माना जा सकता है। एक बार ब्याज की अवधारणा पेश हो जाने के बाद, कर्मकार मुआवजा अधिनियम के सिद्धांत निश्चित रूप से लागू किए जा सकते हैं और प्रताप नारायण सिंह देव में 4-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय पूरी तरह से लागू होगा। जहां कहीं यह लाभ यथासंभव वहन किया जाए। इस प्रकार, हमारे अनुसार, मामला बिल्कुल स्पष्ट है। इस मुद्दे को और अधिक स्पष्टीकरण या विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

11. नतीजतन, हमें यह कहना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में 8 लाख रुपये की राशि पर ब्याज देने में गलती की। जहां संशोधन से पहले दुर्घटना हुई थी, उसे रानी देवी में निर्धारित सिद्धांत के आलोक में मामले पर विचार करना चाहिए था, इसलिए हम आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं। हालांकि, प्रतिवादी, किसी भी मामले में, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि का हकदार होगा।

12. हमें एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए जो विद्वान न्यायमित्र द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया था। उन् होंने भारतीय रेल में सुरक्षा के संबंध में चार रिपोर्टों का सारांश प्रस् तुत किया। वे प्रतिवेदन इस प्रकार हैं-

1 .अनिल काकोडकर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति17.02.2012;

2. रेलवे में संरक्षा और सुरक्षा पर 16 वीं लोक सभा का बारहवां प्रतिवेदन

3. भारतीय रेलवे में उपनगरीय ट्रेन सेवाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2016 की रिपोर्ट संख्या 14; और रेलवे संबंधी स्थायी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (2013-14) 15 वीं लोक सभा, भारतीय रेल की उपनगरीय रेल सेवाओं पर रेल मंत्रालय की रिपोर्ट, जिसमेंमहिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

13. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस सुझाव पर तुरंत सहमति व्यक्त की कि रेलवे को इस मामले पर सही तरीके से विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को तुरंत संबोधित किया जाए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर, इसलिए, हम मामले को केवल आठ सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं ताकि सुरक्षा के बारे में मुद्दों पर विचार किया जा सके, जैसा कि विद्वान न्यायमित्र द्वारा उजागर किया गया है। भारत संघ बनाम राधा यादव [उदय उमेश ललित, जे।

14. तदनुसार आदेश दिया।

15. मुख्य मामले में पारित आदेश के मद्देनजर, अर्थात्, भारत संघ बनाम राधा यादव से उत्पन्न सिविल अपील, 2019 की सिविल अपील संख्या 1267-1268 @ एसएलपी (सी) संख्या 2993-2994 (2018 का डी.नंबर 33760) का निपटान समान शर्तों में किया जाता है।

देविका गुजराल की अपीलों का निपटान।

Digitally signed by Priyanka Anjor
Date: 2023.10.25 12:27:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court